संख्या– 1374 /VI(1)/ 2011–2(27)2010

प्रेषक,

श्री राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 20 जून, 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 में पर्यटन विकास के चालू निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–95/2–6–68/2011–12, दिनांक 04 जून, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यो हेतु संलग्न विवरणानुसार ₹ 148.81 लाख (रूपये एक करोड़ अड़तालीस लाख ईक्यासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3– कार्य प्रारम्भ के समय सम्बंधित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड के सौजन्य से किया जा रहा है, योजना प्रारम्भ करने का समय, इसकी लागत, पूर्ण करने का समय तथा कार्यदायी संस्था का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय–समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।

4– कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने के पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि कर ही भुगतान की जायेगी।

5– एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।

6– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

7– सभी योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि एवं न्यूनतम निविदा के सापेक्ष होने वाली बचत का विवरण एवं धनराशि कार्यदायी संस्थाओं से पर्यटन निदेशालय द्वारा प्राप्त कर राजकोष में जमा करायी जायेगी और शासन को अवगत कराया जायेगा।

8– उपरोक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

..2

(8)

9– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सैक्टर–47–पर्यटन विकास की चालू योजनायें–24–वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्क–यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 1370 /VI(1)/2011–02(27)2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव–मा0 पर्यटन मंत्री, मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9– सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
12– गार्ड फाईल।

संलग्क–यथोपरि।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

परिशिष्ट

शासनादेश संख्याः–1374/VI(1)/2011–02(27)2010, दिनांक 20 जून, 2011 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपयें में)

क0 स0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	अवमुक्त	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	विकास खण्ड रामनगर में कोसी बैराज क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण	19.60	1.00	18.60
2	ऋषिकेश स्थित सोमेश्वर मंदिर स्थल का सौन्दर्यीकरण	5.56	3.00	2.56
3	जनपद देहरादून में जामुनवाला स्थित ग्यारहमुखी हनुमान मंदिर का सौन्दर्यीकरण	7.90	3.00	4.90
4	बुंगाछीना हरिनन्दा परिसर में पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण	5.64	2.00	3.64
5	जखोल देवक्यारा ट्रैक मार्ग का जीर्णोद्धार	19.70	9.00	10.70
6	विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम रामबाग में शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	17.66	4.00	13.66
7	विकास खण्ड सितारगंज के शक्तिफार्म में जवाहर लाल नेहरू पार्क का सौन्दर्यीकरण	5.25	2.00	3.25
8	सितारगंज स्थित बड़ी मस्जिद का सुधार कार्य	6.18	2.00	4.18
9	सुरेन्द्रनगर (सितारगंज) स्थित मंदिर का सौन्दर्यीकरण व सामुदायिक भवन का निर्माण	8.35	3.00	5.35
10	राजभवन नैनीताल में गोल्फ क्लब में पर्यावरण चेतना एवं वन चेतना केन्द्र का निर्माण	36.47	20.00	17.19
11	मनेरा स्थित एक्सपीडिशन हास्टल मे बाउन्ड्रीवाल गैराज व अन्य मरम्मत कार्य	15.44	10.00	5.44
12	हुणेश्वर मंदिर एवं जीतु बगड़वाल मंदिर ग्राम जगड़गॉव में मेला स्थल व यात्री निवास का निर्माण	6.76	4.83	1.93
13	चियूसी उर्गम में गाडदेवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण विकास खण्ड विण.	9.82	4.75	5.07
14	पौड़ी में अतिरिक्त पर्यटक आवास गृह का निर्माण	56.37	10.00	46.37
15	उमा देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	9.97	4.00	5.97
	योग :–	230.67	82.58	148.81

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

(16) (12)

संख्या– /VI-2/2011–80(16)2010

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 जून, 2011

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की "घोषणा संख्या– 225/2010 अगस्त्यमुनि में स्थाई मंच एवं ग्रीन रूम की स्वीकृति दी जायेगी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–356/सं0नि0उ0/दो–3(मु0घो0)/2011–12 दिनांक 30 अप्रैल, 2011तथा के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अगस्त्यमुनि में स्थाई मंच एवं ग्रीन रूम के निर्माण कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उपखण्ड द्वितीय, रूद्रप्रयाग से गठित आगणन कुल रू0 17.47 लाख में से प्रथम चरण के कार्यों (DPR आदि) हेतु ₹0.47 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि ₹0.41 लाख (₹इक्तालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0– 571/XXVII (1)/2010 दि0– 19–10–2010 के विहित शर्तो के अनुसार अगले चरण के लिए शीघ्रता से समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2-- कार्य करने से पूर्व मदवार दी विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4 कार्य करने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5 कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्यक करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।

6 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

7 यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

8 कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9 उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यो के लिए सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

10-- यदि उक्त कार्य हेतु अन्य विभागीय बजट से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11-- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम

अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को पचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

12- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-03-सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-48 (पी)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 30 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 449 /VI-2/2011-80(16)/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सम्बन्धित संस्था।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।